कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रॉकः— 48 /FP/UK/ROAD/16879/2015 दिनॉकःदेहरादून 05 जुलाई, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः— जनपद–देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत त्यूनी चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/172/2016/एफ0सी0/1224 दिनॉक 12–10–2017.

(ऑन लाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/ROAD/16879/2015)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः—

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.94 हे0 वन भूमि के दुगने अर्थात 9.88 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के द्वारा आगणित धनराशि ₹ 25,02,920.00 (₹ पच्चीस लाख दो हजार नौ सौ बीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम डेरसा की 9.88 हे0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 32,45,580.00 (बत्तीस लाख पैंतालीस हजार पांच सौ अस्सी रूपये) मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन जमा की गयी चालान की कुल धनराशि रू0 57,48,500.00 (सत्तावन लाख अड़तालीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र की रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित की गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव होगा, सड़क के दोनों किनारों एवं सेन्ट्रल वर्ज (Central verge) पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण करेगा। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन पार्ट–2 में वृक्षों की सही गणना अपलोड कर दी गयी है। **(संलग्नक–5)**
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि की दरें संशोधित कर दी गयी हैं। **(संलग्नक–6)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः—यथोपरि</u>

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

—क्रमशः—

संख्या :– 48 / **FP/UK/ROAD/16879/2015** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
2. मुख्य अभियन्ता, यूआरआरडीए, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, पी0एम0जी0एस0वाई0, मुख्यालय–कालसी, जनपद–देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

o/c